पत्रांकः BRLPS-LSBA/Proj/72/18/221 दिनांक 20/06/2018

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि0 प्र0 से0
प्रशासी पदाधिकारी–सह–राज्य समन्वयक।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

विषयः पंचायतों के नामित नोडल/प्रशिक्षित राजमिस्त्री एवं स्वच्छाग्रहियों की सूची उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि जिलों में पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंर्तगत क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारु प्रबंधन, सामुदायिक उत्प्रेरण एवं शौचालय निर्माण हेतु नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षित राजमिस्त्री एवं स्वच्छाग्रहियों को नामित कर प्रतिनियुक्त किया गया है।

जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनको सूचीबद्ध कर जिलों द्वारा राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने हेतु अग्रेतर कारवाई भी कि जा रही है।

अवगत कराना चाहेंगे कि राज्य स्तर से आवश्यक सहयोग और विशेष सहायता हेतु एक सम्पर्क–सह–सहायता केन्द्र (Call Centre-cum-Help line) बनाये जाने प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। जिसके माध्यम से जिला, प्रखण्ड एंव पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे कर्मियों का भी सहायक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि सभी पंचायत स्तर पर कार्यरत नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षित राजमिस्त्री एवं स्वच्छाग्रहियों संबंधित सूचना निम्न प्रपत्र में राज्य कार्यालय को दिनांक 28.06.2018 तक प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाः			प्रखण्डः	
कम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	नोडल पदाधिकारी का नाम एवं मोबाइल नं0	स्वच्छाग्रही का नाम एवं मोबाइल नं0	प्रशिक्षित राजमिस्त्री का नाम एवं मोबाइल नं0
1				

साथ ही अगर जिले/प्रखण्ड के द्वारा भी संम्पर्क–सह–सहायता केन्द्र (Call Centre-cum-Help line) चलाया जा रहा है, जिससे संबंधित सूचना सम्पर्क सूत्र और पूर्ण पते के साथ प्रपत्र के साथ प्रेषित किया जाये।

विश्वासभाजन

20/6/18

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक: BRLPS-LSBA/Proj/72/18/221 दिनांक 20/06/2018

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रा0 वि0 अभि0–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/18

(राजीव कुमार सिंह)